भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1139

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा/प्रशि क्षण कार्यक्रम

1139. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच से महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं सहित देश के युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के द्वारा देश भर में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः

कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त करना है।

कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, परिवहन और बोर्डिंग और लॉजिंग पर खर्च को पूरा करने के साथ-साथ प्लेसमेंट के बाद सहायता बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है और उन पर विशेष ध्यान देता है जो महिलाओं को प्राथमिक लाभार्थियों के रूप में महत्व देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, हेल्थकेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, हस्तशिल्प और परिधान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की अधिक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए संरचित हैं। कौशल केंद्र और विशेष परियोजनाएं महिलाओं के नामांकन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती हैं। परियोजनाओं को स्थानीय कौशल मांगों के साथ संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास योजनाओं में भाग लेने और लाभान्वित होने के अवसर पैदा हों। यह समावेशी दृष्टिकोण देश भर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व और लाभ सुनिश्चित करता है। जेएसएस योजना के तहत भारत सरकार ने सभी आईटीआई (सरकारी और निजी) में सभी पाठ्यक्रमों में महिला उम्मीदवारों के लिए 30% सीटों का आरक्षण अनुमोदित किया है और ये सीटें प्रत्येक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

****